मतगणना अभिकर्त्ताओं के [illegible]पुस्तिका

(*ऐसे निर्वाचनों में***,** *जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है***)**

2014

*निर्वाचन सदन***,** *अशोक रोड*

*नई दिल्ली***-110001**

विषय सूची

पैरा सं.		*पृष्ठ सं.*
1	*प्रस्तावना*	03
2	*मतगणना अभिकर्ताओं की भूमिका*	03
3	*वोटिंग मशीनों का संक्षिप्त परिचय*	03-05
4	*मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति*	06-08
5	*मतगणना हॉल के भीतर मतगणना अभिकर्ता*	08-10
6	*मतगणना मेजों की बेरिकेडिंग के लिए इंतजाम*	10
7	*गोपनीयता को बनाए रखना*	10
8	*मतगणना कार्मिकों का यादृच्छिकीकरण*	11-12
9	*डाक मतपत्रों की गणना*	12-15
10	*मतदान केंद्रों में डाले गए मतों की गणना*	15-19
11	*परिणाम अभिनिश्चित करना*	19-22
12	*भाग-।।- प्ररूप 17ग की मतगणना का परिणाम*	22-23
13	*अंतिम परिणाम पत्र की तैयारी*	23
14	*पुनर्गणना*	24-25
15	*नए सिरे से मतदान की दशा में मतगणना का स्थगन*	25-26
16	*मतगणना के पश्चात् वोटिंग मशीनों को पुनः मुहरबंद करना*	26-27
परिशिष्ट I	*गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति*	28-29
परिशिष्ट II	*गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रतिसंहरण*	30
परिशिष्ट III	*भाग I रिकार्ड किए गए मतों का लेखा*	31-32
परिशिष्ट IV	*मतगणना परिणाम*	33

मतगणना अभिकर्त्ताओं के पुस्तिका

[ऐसे निर्वाचनों में, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है]

1. *प्रस्तावना*

1.1 *मतगणना, निर्वाचन प्रक्रिया में अंतिम महत्वपूर्ण कदम है। सही एवं समुचित मतगणना से ही निर्वाचक की सच्ची पसंद अभिव्यक्त होती है। इसलिए, मतगणना की प्रक्रिया के महत्व के बारे में बहुत अधिक कहने की जरूरत नहीं है।*

2. *मतगणना अभिकर्ताओं की भूमिका*

2.1 *विधि के अधीन मतगणना, अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर द्वारा या उसके अधीक्षण एवं निदेशन में की जानी होती है। विधि में सहायक रिटर्निंग आफिसर को भी मतगणना कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है। मतगणना एक साथ एक से अधिक स्थानों पर और एक ही स्थान पर एक से अधिक मेजों पर की जा सकती है। चूंकि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह ऐसे प्रत्येक मतगणना स्थान और मेज पर शारीरिक रूप से उपस्थित रहें, इसलिए विधि में अभ्यर्थी को मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी गई है, जो उक्त मतगणना स्थानों एवं मतगणना मेजों में से प्रत्येक पर उपस्थित हो सकता है और उसके हितों को देख सकता है। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि होने के नाते, मतगणना अभिकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस महत्वपूर्ण कार्य में उनके सहयोग से मतगणना पर्यवेक्षकों और मतगणना सहायकों का कार्य आसान हो जाएगा।*

2.2 *आप एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना अभिकर्ता बनने जा रहे है जिसमें वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है इसलिए, आपको वोटिंग मशीनों द्वारा निर्वाचनों के संचालन के लिए विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के बारे में नवीनतम स्थिति से स्वयं को पूरी तरह अवगत रखना चाहिए। आपको वोटिंग मशीनों के प्रचालन से भी स्वयं को परिचित कराना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, आपको रिटर्निंग आफिसर द्वारा इंतजाम की गई वोटिग मशीनों के प्रदर्शनों, जहां वोटिंग मशीनों को प्रदर्शित किया जाएगा और उसके बाद इनकी कार्य पद्धति एवं प्रचालन को स्पष्ट किया जाएगा, में भाग लेना चाहिए।*

3. *वोटिंग मशीनों का संक्षिप्त परिचय*

3.1 *वर्ष 2004 से, भारत में निर्वाचन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग करके संचालित किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें केंद्रीय सरकार के दो उपक्रमों अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा विनिर्मित की गई है। वोटिंग मशीनों का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि पारंपरिक प्रणाली, जिसके अधीन मतपत्र एवं मतपेटियों का प्रयोग किया जाता था, की सभी मुख्य विशेषताओं को अक्षुण्ण रखा जा सके।*

3.2 *वोटिंग मशीन दो यूनिटों अर्थात कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट से मिलकर बनती है। ये दो यूनिटें आपस में जोड़ी जाती हैं तब वोटिंग मशीन को एक केबल की सहायता से कार्यशील किया जाता है, केबल का एक किनारा बैलेट यूनिट से स्थायी रूप से संबद्ध रहता है। जब मशीन को मतों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो मुक्त किनारे को कंट्रोल यूनिट में लगाया जाता है।*

3.3 *मशीन बैटरी प्रचालित होती है और इसे कहीं भी और किसी भी स्थिति में प्रयोग में लाया जा सकता है। यह टेम्पर-प्रूफ त्रुटि-मुक्त एवं प्रचालन में आसान होती है। मशीन की यूनिटों की आपूर्ति पृथक वहन बक्सों में की जाती है। मशीन में एक बार मतदान संबंधी सूचना रिकॉर्ड हो जाने के बाद, यह इसकी मेमोरी में बैटरी को हटा लेने के बाद भी बनी रहती है।*

3.4 *निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि ऐसे डिजाइन, जो निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, के ड्रॉप बाक्स सहित प्रिंटर को मत के पेपर ट्रेल को प्रिंट करने के लिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों, जो निर्वाचन आयोग निदेश दे, में वोटिंग मशीन से भी संबद्ध किया जाएगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां वोटर वेरिफायबल पेपर ट्रेल (वी वी पी ए टी) का प्रयोग निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के उपबंधों के अधीन किया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी को मतदान कोष्ठ में बैलट यूनिट के साथ प्रिंटर को रखना चाहिए। प्रिंटर को ई वी एम से निर्वाचन आयोग द्वारा यथा निदेशित रीति से जोड़ा जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, मतदान कोष्ठ को उसी अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे मतदान बूथों के संबंध में, जहां ड्रॉप बाक्स सहित पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का प्रयोग बैलेटिंग बटन को दबाकर किया जाता है, वहां*

निर्वाचक प्रिंटेड पेपर पर्ची को देख पाएंगे, अभ्यर्थी, जिसके लिए उसने अपना मत दिया है, की क्रम संख्या, नाम एवं प्रतीक को ऐसी कागज पर्ची के कटकर ड्रॉप बाक्स में गिरने से पहले प्रिंटर की पारदर्शी विंडो से देखा जा सकता है।

3.5 *जो निर्वाचक किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देना चाहते हैं, वे अपने निर्णय की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतपत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के नाम एवं विवरणों वाले पैनल के बाद "इसमें से कोई नहीं नोटा" शब्दों के साथ एक बैलट पैनल उपलब्ध होगा।*

3.6 *एक बैलट यूनिट में अधिकतम सोलह अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। यदि अभ्यर्थियों की संख्या* **15** *है, तो अंतिम पैनल 'इनमें से कोई नहीं (नोटा) होगा; किंतु यदि* **16** *अभ्यर्थी हैं, तो नोटा के लिए एक अतिरिक्त बैलट यूनिट होगी। बैलट यूनिट पर निर्वाचन संबंधी ब्यौरे, लड़ रहे अभ्यर्थियों के नाम, क्रम संख्या और उन्हें क्रमश: आबंटित प्रतीक होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने और नोटा के लिए, एक-एक बटन होगा जिसे दबाकर मतदाता अपना मत डाल सकता है। उक्त बटन के साथ-साथ, प्रत्येक के लिए एक लैम्प भी होगा जो तब लाल प्रदीप्त होता है, जब उक्त बटन को दबाकर मत रिकार्ड किया जाता है।*

3.7 *तिरसठ अभ्यर्थियों एवं नोटा के लिए चार बैलट यूनिट को एक साथ जोड़कर उसका प्रयोग एक कंट्रोल यूनिट से किया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट के सबसे उपरी भाग पर मशीन में रिकार्ड विभिन्न सूचना एवं आंकड़ा, यथा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या को प्रदर्शित करने की व्यवस्था होती है। यह भाग आसान संदर्भ के लिए कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले सेक्शन कहा जाता है। डिस्प्ले सेक्शन के नीचे, बैटरी, जिस पर मशीन चलती है, को लगाने के लिए कोष्ठ होता है। इस कोष्ठ के बगल में एक दूसरा कोष्ठ होता है निर्वाचन में लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या और नोटा के पैनल के लिए मशीन को सेट करने हेतु एक बटन होता है। यह बटन 'कैंडिडेट सेट' कहा जाता है और इन दो कोष्ठों से मिलकर बने कंट्रोल यूनिट का संपूर्ण भाग 'कैंडिडेट सेट सेक्शन' कहलाता है। कैंडिडेट सेट सेक्शन के नीचे 'कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट सेक्शन' होता है। इस सेक्शन में मतदान को समाप्त करने के लिए 'क्लोज' बटन, दो विभिन्न मतदानों के परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए दो 'रिजल्ट' बटन और मशीन में दर्ज आंकड़े को हटाने, जब अपेक्षित हो, के लिए 'क्लियर' बटन होते हैं। कंट्रोल बटन के निचले भाग में दो बटन होते हैं — एक, बैलट चिह्नित होता है, जिसे दबाने से बैलट यूनिट मत रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरा 'टोटल' चिह्नित होता है जिसे दबाने से उस समय तक रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या अभिनिश्चित की जा सकती है। कृपया ध्यान रखें कि डिस्प्ले में केवल कुल मत दिखाए जाते हैं, न कि अभ्यर्थी-वार प्राप्त मतों की संख्या। यह सेक्शन कंट्रोल यूनिट के 'बैलट सेक्शन' के रूप में जाना जाता है।*

3.8 *मशीन, विशेषकर 'बैलट यूनिट' का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वर्तमान मतदान प्रणाली की सभी आवश्यक विशेषताओं को अक्षुण्ण रखा जा सके और केवल एक परिवर्तन है कि मतदाता से एरो क्रॉस चिह्न के स्टाम्प के प्रयोग, जो अपनी पसंद के प्रतीक पर या उसके पास मत पत्र पर लगाया जाता है, के बजाए अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक या 'नोटा' के पैनल के सामने प्रदान किए गए ब्लू बटन को दबाया जाना अपेक्षित होता है। वोटिंग मशीन द्वारा मतदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल, त्वरित एवं त्रुटि रहित है। प्रत्येक मत सही रूप से रिकॉर्ड होता है और कोई मत अमान्य नहीं होता है।*

4. *मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति*

अर्हता

4.1 *मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट अर्हताएं विहित नहीं की गई हैं। तथापि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परिपक्व व्यक्तियों, जो* **18** *वर्ष से अधिक की आयु के हों, को अपने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करें ताकि उनके हितों की समुचित रूप से निगरानी की जा सके।*

4.2 *चूंकि सुरक्षा कार्मिकों को भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी वर्तमान मंत्री, वर्तमान संसद सदस्य, वर्तमान विधान सभा/विधान परिषद सदस्य या राष्ट्र (केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार) द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा कवच वाले किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचन के दौरान किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या मतगणना कर्मियों के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, सुरक्षा कवच वाले किसी व्यक्ति*

को निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी को ऐसे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सुरक्षा कवच को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह अपने सुरक्षा कार्मिकों के साथ मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता है; बिना सुरक्षा कवच के हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देकर उसकी सुरक्षा खतरे में नहीं डाली जा सकती है।

4.3 *सरकारी सेवक भी किसी अभ्यर्थी के मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134-क)। यदि वह ऐसा कृत्य करता है, तो वह ऐसी अवधि, जो 3 माह तक विस्तारित हो सकती है, के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है।*

प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या

4.4 *प्रत्येक अभ्यर्थी को मतगणना मेजों की संख्या के बराबर संख्या में मतगणना अभिकर्ता और रिटर्निंग आफिसर की मेज पर मतगणना पर निगरानी रखने के लिए एक और अभिकर्ता को नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अधीन एक हॉल में मतगणना के लिए, रिटर्निंग आफिसर हेतु एक मेज के अतिरिक्त चौदह से अधिक मेजें प्रदान नहीं की जा सकती हैं। इस प्रकार मतगणना अभिकर्ताओं, जो अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे, की अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि मतगणना मेजों की संख्या भी रिटर्निंग आफिसर की मेज सहित 15 से अधिक नहीं होती है।*

4.5 *तथापि, आयोग, साधारण या विशेष निदेश द्वारा रिटर्निंग आफिसर को 15 से अधिक मेजें प्रदान करने की अनुमति देता है। उस स्थिति में, अभ्यर्थियों को 15 से अधिक और रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रदान की गई मतगणना मेजों की संख्या के बराबर अभिकर्ताओं को नियुक्त करने की भी अनुमति दी जाएगी।*

4.6 *विधि के अधीन, रिटर्निंग आफिसर मतदान के लिए नियत तारीख से कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को स्थान, जहां मतगणना की जाएगी और तारीख एवं समय, जब मतगणना प्रारंभ होगी, की सूचना लिखित में देगा। वह मतगणना हॉल में प्रदान की जाने वाली मतगणना मेजों की संख्या के बारे में काफी अग्रिम रूप से उन्हें सूचित भी करेगा ताकि वे तदनुसार अपने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकें।*

4.7 *विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, मतगणना सामान्यतया एक ही स्थान पर होगी। तथापि, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए, मतगणना विभिन्न स्थानों पर हो सकेगी। मतगणना अभिकर्ताओं की अधिकतम संख्या के बारे में उपर्युक्त सीमा ऐसे प्रत्येक मतगणना स्थान के बारे में पृथक रूप से लागू होगी, जब मतगणना एक से अधिक स्थानों पर की जाती है।*

4.8 *लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों की दशा में, मतगणना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खंड-वार साथ-साथ की जाएगी। ऐसी स्थिति में, संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचनों के लिए अभ्यर्थियों को पृथक रूप से अपने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी।*

कौन नियुक्त कर सकते हैं

4.9 *मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जानी होती है। ऐसी नियुक्ति निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्ररूप 18 (परिशिष्ट 1) में की जाती है। मतदान अभिकर्ता का नाम एवं पता उस प्ररूप में भरा जाएगा तथा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति को स्वीकार किए जाने के संकेत के रूप में उस प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा। सभी मामलों में, अभिकर्ताओं के फोटो के साथ ऐसे प्ररूपों की दो प्रतियां तैयार की जाएंगी एवं हस्ताक्षरित की जाएंगी, उस प्ररूप की एक प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग आफिसर को अग्रेषित की जानी होती है, जबकि दूसरी प्रति रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए मतगणना अभिकर्ता को दी जाती है।*

4.10 *एक अभ्यर्थी प्ररूप 18 में एकल नियुक्ति पत्र द्वारा अपने सभी मतगणना अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकेगा। उस दशा में, सभी मतगणना अभिकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे नियुक्ति को स्वीकार किए जाने के संकेत के रूप में नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करें।*

4.11 *नियुक्ति प्ररूप में अभ्यर्थी के अनुकृति हस्ताक्षर को भी स्वीकार किया जाता है, यदि हस्ताक्षर के बारे में कोई संदेह नहीं हो।*

नियुक्ति के लिए समय-सीमा

4.12 *निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, चाहे निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या कुछ भी हो, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतगणना के लिए नियत तारीख के तीन [redacted] पूर्व अधिकतम* **17.00** *बजे तक रिटर्निंग आफिसर को ऐसे अभिकर्ताओं के फोटो सहित सूचियां प्रस्तुत करनी चाहिए। रिटर्निंग आफिसर ऐसे प्रत्येक अभिकर्ता के लिए पहचान पत्र तैयार करेगा और इसे अभ्यर्थी को जारी करेगा।*

4.13 *मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना में भाग लेने के लिए आने के समय अपने नियुक्ति पत्र के साथ उन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना चाहिए।*

4.14 *मतगणना अभिकर्ताओं के पहचान पत्र के साथ नियुक्ति पत्र को मतगणना के लिए नियत समय से कम से कम एक घंट पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रिटर्निंग आफिसर यथोक्त समय के बाद प्राप्त नियुक्ति पत्र को स्वीकार नहीं करेगा।*

नियुक्ति का प्रतिसंहरण

4.15 *अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण करने के लिए प्राधिकृत है।*

4.16 *नियुक्ति का ऐसा प्रतिसंहरण [redacted] का संचालन नियम,* **1961** *में संलग्न प्ररूप (परिशिष्ट II) में किया जाता है और यह उस समय लागू हो जाता है जब यह रिटर्निंग आफिसर के पास दाखिल किया जाता है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थी किसी ऐसे मतगणना अभिकर्ता, जिसकी नियुक्ति का प्रतिसंहरण किया गया है, के स्थान पर दूसरे मतगणना अभिकर्ता को मतगणना प्रारंभ होने से पहले किसी भी समय नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। मतगणना प्रारंभ हो जाने के बाद, किसी नए मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।*

4.17 *ऐसे नए मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति उपर पैरा* **7** *में यथा स्पष्ट रीति में की जानी होती है।*

5. *मतगणना हॉल के भीतर मतगणना अभिकर्ता*

5.1 *रिटर्निंग आफिसर के समक्ष नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद, मतगणना अभिकर्ता से रिटर्निंग आफिसर के समक्ष मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के बारे में उसके नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा। नियुक्ति पत्र/पहचान पत्र और घोषणा के सत्यापन के बाद रिटर्निंग आफिसर मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा।*

5.2 *रिटर्निंग आफिसर किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने से पहले उसे व्यक्तिगत तलाशी के अध्यधीन रखने के लिए अधिकृत है।*

5.3 *प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग आफिसर द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किसका अभिकर्ता है और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, [redacted] पर वह मतगणना पर नजर रखेगा। उसे आबंटित मेज पर बैठा रहना चाहिए। उसे पूरे हॉल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसकी अनुपस्थिति में, रिटर्निंग आफिसर की मेज पर केवल उसके मतगणना अभिकर्ता को सभी मतगणना मेजों के चारों ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।*

5.4 *प्रत्येक व्यक्ति से मतगणना हॉल के भीतर कड़ा अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने में रिटर्निंग आफिसर के साथ पूरी तरह सहयोग किया जाना अपेक्षित होगा। उन्हें रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिए गए सभी निर्देशें का पालन करना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्निंग आफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को मतगणना हॉल से बाहर भेज सकेगा जो उसके निदेशों की बार-बार अवज्ञा करेगा।*

5.5 *मतगणना अभिकर्ता और दूसरे व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, जब एक मतगणना अभिकर्ता और अन्य व्यक्ति मतगणना हॉल के भीतर है, तो उन्हें साधारणतया परिणाम की घोषणा के बाद ही बाहर जाने की अनुमति होगी।*

5.6 *मतगणना हॉल के लिए पेयजल, नास्ते, शौचालय आदि के लिए सभी यथोचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।*

5.7 *मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रेक्षकों/माइक्रो प्रेक्षकों, मतगणना पर्यवेक्षक, सुरक्षा कार्मिकों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, किंतु वे अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखेंगे।*

5.8 *मतगणना स्टाफ, अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन/मतगणना अभिकर्ता(ओ) को मतगणना हॉल के भीतर धूम्रपान करने की अनुमति नहीं होगी।*

5.9 *मतगणना, कतारों में व्यवस्थित मेजों पर की जाएगी। प्रत्येक कतार में मेजों को क्रम संख्यांकित किया जाएगा। प्रत्येक मतगणना मेंजों पर अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता का अनुपालन करके की जाएगी:-*

i. *मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी;*

ii. *मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी*;

iii. *अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी जिन्हें निर्वाचन-क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है*;

iv. *रजिस्ट्रीकृत-अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी*; *तथा*

v. *निर्दलीय अभ्यर्थी।*

6. *मतगणना मेजों की बेरिकेडिंग के लिए इंतजाम*

6.1 *प्रत्येक मतगणना हॉल में, प्रत्येक मतगणना मेज के लिए बेरिकेड या वायर मेश प्रदान किए जाएंगे ताकि मतगणना अभिकर्ता वोटिंग मशीनों के साथ छेड़-छाड़ न करें। तथापि, मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना मेज पर संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया को देखने के लिए सभी यथोचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। रिटर्निंग आफिसर सुनिश्चित करेगा कि बेरिकेड या वायर मेश पारदर्शी हों या बेरिकेड लगाने के प्रयोजन के लिए बांसों या अन्य सामग्री के बीच या उपर इतना पर्याप्त स्थान हो कि मतगणना प्रक्रिया की पूरी झलक मिल सके। लगाए जाने वाले बेरिकेड की सही रीति रिटर्निंग आफिसर के विवेक पर छोड़ा जाता है। उसे ऐसा दृष्टिकोण अंगीकार करना होगा जो वह यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित समझे, कि मतगणना की प्रक्रिया में किसी भी रीति में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा वोटिंग मशीनों को हैंडल न किया जाए या उनके साथ छेड़-छाड़ न किया जाए।*

7. *गोपनीयता को बनाए रखना*

7.1 *मतगणना हॉल के भीतर प्रत्येक व्यक्ति से विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि वह मतदान की गोपनीयता को बनाए रखे और बनाए रखने में सहायता करे और उसे ऐसी गोपनीयता के उल्लंघन में कोई सूचना किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं करनी चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस संबंध में विधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति ऐसी अवधि, जो* **3** *माह तक विस्तार की जा सकेगी, के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने के लिए दायी है* **(***लोक प्रतिधिनित्व अधिनियम,* **1951** *की धारा* **128)***।*

7.2 *मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व, रिटर्निंग आफिसर सभी उपस्थित व्यक्तियों की सूचना और उनकी ओर से अनुपालन के लिए उपर्युक्त धारा* **128** *के उपबंधों को पढ़कर सुनाएगा और स्पष्ट करेगा।*

8. *मतगणना कार्मिकों का यादृच्छिकीकरण*

8.1 *मतगणना पर्यवेक्षकों और मतगणना सहायकों की तैनाती यादृच्छिक रूप से इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मतगणना कार्मिकों को मतगणना के दिवस को मतगणना केंद्र में पहुंचने के समय ही उन्हें आबंटित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और मेज के बारे में जानकारी होगी।*

8.2 *जिला निर्वाचन अधिकारी सभी मतगणना स्टाफ को फोटो पहचान पत्र जारी करेगा। उसे मतगणना प्रयोजनों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षित कार्मिकों* **(***आरक्षित पूल सहित***)** *का पूल रखना चाहिए। मतगणना कार्मिकों को मतगणना की तारीख को पूर्वाह्न* **6** *बजे मतगणना केंद्र में पहुंचने का निदेश दिया जाना चाहिए।*

8.3 *प्रेक्षक और निर्वाचन अधिकारी मतगणना के दिवस में पूर्वाह्न* **5** *बजे यादृच्छिकीकरण करने के लिए एक स्थान पर एकत्र होंगे। यह स्थान जिला निर्वाचन अधिकारी/ रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय, मतगणना केंद्र या कोई अन्य कार्यालय हो सकता है, जहां प्रक्रिया सुविधाजनक रूप से आयोजित की जा सकती हो।*

8.4 *यादृच्छिकीकरण मैनुअल रूप से या कंप्यूटर के प्रयोग से किया जाएगा। मैनुअल यादृच्छिकीकरण के लिए उपस्थित वरिष्ठतम प्रेक्षक लाट निकालकर मतगणना कार्मिकों को यादृच्छिक रूप से निर्वाचन क्षेत्र एवं मेज संख्या निर्दिष्ट करेगा। इसे पृथक रूप से एवं स्वतंत्र रूप से उपर्युक्त दो सूचियों के साथ किया जाना होगा ताकि प्रत्येक मेज के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक एवं एक मतगणना सहायक का नाम प्राप्त हो सके।*

जिला निर्वाचन अधिकारी इस यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया का त्वरित एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी पूर्व इंतजाम करेगा। इसमें मतगणना कार्मिकों और निर्वाचन क्षेत्र को निर्दिष्ट विशिष्ट क्रम संख्या/मेज संख्या की सूची तैयार किया जाना सम्मिलित होगा।

8.5 *जिला निर्वाचन अधिकारी इस यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया का त्वरित एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी पूर्व इंतजाम करेगा।*

8.6 *वैकल्पिक रूप से, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेक्षकों के परामर्श से कंप्यूटर की सहायता से उपर्युक्त यादृच्छिकीकरण को करने के लिए इंतजाम कर सकेगा। प्रेक्षकों को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि प्रक्रिया सभी त्रुटियों से मुक्त है और कि उसमें यादृच्छिक रीति से सच्चे रूप में परिणाम प्राप्त होते हैं।*

8.7 *जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया की विडियोग्राफी रिकॉर्ड प्रयोजन के लिए किया जाए।*

8.8 *यादृच्छिकीकरण पूरा होते ही, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रेक्षकों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन क्षेत्र-वार तैनाती सूचियां, प्रेक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना केंद्र में समय पर लाया जाएगा, जिन्हें पूर्वाह्न 6 बजे तक संबंधित रिटर्निंग आफिसर एवं नियंत्रण कक्ष को सौंपा जाएगा।*

8.9 *यादृच्छिकीकरण की पूरी प्रक्रिया पूर्वाह्न 6 बजे तक समाप्त हो जानी चाहिए ताकि मतगणना कार्मिक मतगणना प्रक्रिया के आरंभ होने के निर्धारित समय से पूर्व अपने निर्दिष्ट स्थान पर सुविधाजनक रूप से पहुंच सके।*

8.10 *ऐसे कार्मिक, जिन्हें कोई निर्वाचन क्षेत्र/मेज निर्दिष्ट नहीं किया गया है, आरक्षित पूल का हिस्सा होंगे।*

8.11 *कार्मिकों की तैनाती पालियों में नहीं होगी क्योंकि मतगणना प्रक्रिया में सामान्यतया 6 से 8 घंटे से अधिक समय नहीं लगता है। तथापि, जिला निर्वाचन अधिकारियों को ऐसी कोई अत्यावश्यकता होने पर कार्मिकों को बदलने की छूट होगी। किंतु बदलने संबंधी यह कार्य भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक से परामर्श के बाद आरक्षित कार्मिकों के पूल से यादृच्छिक रूप से किया जाएगा। यथा व्यवहार्य, मतगणना, समाप्त होने तक लगातार होगी।*

9. *डाक मतपत्रों की गणना*

9.1 *मतगणना दिवस को, डाक मतपत्र की गणना पहले शुरू की जाएगी और 30 मिनट के अंतराल पर, ई वी एम की गणना भी शुरू की जा सकती है।*

9.2 *डाक मतपत्रों की गणना के लिए पृथक मेज या पृथक इंतजाम होने चाहिए। रिटर्निंग आफिसर अपनी मेज पर डाक मतपत्र की गणना के लिए जिम्मेदार होगा। एक सहायक रिटर्निंग आफिसर को डाक मतपत्र की गणना का कार्य संभालने के लिए समर्पित किया जाएगा। प्रेक्षक एवं रिटर्निंग आफिसर को डाक मतपत्र की गणना और ई वी एम की साथ-साथ हो रही गणना में हुई प्रगित का गहनता से अनुवीक्षण करना चाहिए। अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को एक पृथक मतगणना अभिकर्ता नामनिर्देशित करने की सलाह दी जाएगी और वह उस मेज, जहां डाक मतपत्र की गणना हो रही है, के नजदीक उपस्थित रह सकेगा।*

9.3 *मतदाता से प्राप्त प्रत्येक डाक मतपत्र प्ररूप 13-ख में आंतरिक कवर में अंतर्विष्ट होगा। यह कवर प्ररूप 13-क में निर्वाचक की घोषणा के साथ, रिटर्निंग आफिसर को संबोधित प्ररूप 13-ग में एक बड़े कवर में अंतर्विष्ट होगा।*

9.4 *रिटर्निंग आफिसर डाक मतपत्र वाले प्ररूप 13ग में किसी ऐसे कवर को नहीं खोलेगा जो उसे विलंब से अर्थात मतगणना प्रारंभ होने के लिए नियत समय के बाद प्राप्त हुआ है। वह प्ररूप 13ग में कवर के उपर इस प्रयोजन के लिए समुचित पृष्ठांकन करेगा। इन कवरों में अंतर्विष्ट मतों की गणना नहीं की जाएगी। वह ऐसे सभी कवरों का एक पैकेट बनाएगा और पैकेट को सील बंद कर देगा।*

9.5 *समय पर प्राप्त किए गए प्ररूप 13 ग में अंतर्विष्ट सभी डाक मतपत्रों के आवरण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक-एक करके खोले जाएंगे। मतदाता द्वारा प्ररूप 13 क की गई घोषणा प्ररूप 13 ग में प्रत्येक आवरण के भीतर पाया जाएगा। प्ररूप 13-ख के आवरण जिसमें डाक मत-पत्र होता है, को खोलने से पूर्व रिटर्निंग आफिसर घोषणा (प्ररूप 13-क) की जांच करेगा। वह डाक मत-पत्र को इसके भीतरी आवरण (प्ररूप 13-ख) को खोले बगैर अस्वीकृत कर देगा यदि:*

क) प्ररूप 13-क में घोषणा प्ररूप 13-ग में आवरण में नहीं पाई जाती है अथवा

ख) यदि घोषणा निर्वाचन द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित नहीं की गई है या सम्यक रूप से अनुप्रमाणित करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया गया है या अन्यथा सारवान रूप से त्रुटिपूर्ण है;

ग) घोषणा में दर्शाए गए मत-पत्र की क्रम संख्या प्ररूप 13-ख में आंतरिक आवरण पर यथा पृष्ठांकित क्रम संख्या से भिन्न है,

9.6 *प्ररूप 13-ख में इस प्रकार के सभी निरस्त आवरण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किए जाएंगे और 13 ग में प्ररूप में संबंधित घोषणा के साथ बड़े लिफाफे में रखे जाएंगे। ऐसे सभी बड़े आवरणों को एक अलग पैकेट में रखा जाएगा। जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सीलबंद किया जाएगा और पैकेट को पहचान के लिए संपूर्ण विवरण जैसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम, गणना की तारीख और विषय वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण उसमें नोट किए जाएंगे।*

9.7 *उसके बाद, रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 13-ख में शेष कवरों अर्थात यथा उपर्युक्त अस्वीकृत कवरों से भिन्न, पर कार्रवाई शुरू करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी दशा में मतपत्रों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं हो, प्ररूप 13-क में सभी घोषणाएं, जो संवीक्षा में रिटर्निंग आफिसर द्वारा सही पाई जाती हैं, को पहले एक पृथक पैकेट में रखा जाएगा और उसे सीलबंद किया जाएगा। पैकेट पर पहचान संबंधी विवरण लिखे जाएंगे। किन्हीं मतपत्रों को प्ररूप 13-ख में उनके कवरों से निकाले जाने से पूर्व इन घोषणाओं को एक सीलबंद पैकेट में रखना आवश्यक है क्योंकि घोषणाओं में मतदाताओं के डाक मतपत्रों की अपनी-अपनी क्रम संख्या के साथ उनके नाम होते हैं।*

9.8 *उपर्युक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 13-ख में कवरों को एक-एक करके खोलेगा और उसमें अंतर्विष्ट डाक मतपत्रों को बाहर निकाला जाएगा। रिटर्निंग आफिसर ऐसे प्रत्येक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और इसकी विधिमान्यता के बारे में निर्णय करेगा।*

9.9 *किसी डाक मत-पत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है यदि:*

क. उस पर कोई मत दर्ज नहीं है, अथवा

ख. इस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत दिए गए हैं; अथवा

ग. यह एक जाली मत-पत्र है; अथवा

घ यह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत है कि वास्तविक मत पत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है; अथवा

ड. इसे उस आवरण में वापिस नहीं किया गया है जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा इसके साथ निर्वाचक को भेजा गया था; अथवा

च. मत को इंगित करने वाला चिन्ह मत-पत्र पर इस तरीके से लगाया गया है कि यह संदेहात्मक हो गया है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है; अथवा

छ. इसमें ऐसा चिन्ह या लेखन है जिससे मतदाता की पहचान की जा सकती है।

9.10 *किसी डाक मत-पत्र पर अपना मत इंगित करने के लिए मतदाना द्वारा कोई विशिष्ट चिन्ह लगाया जाना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। किसी भी चिन्ह को तबतक विधिमान्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि इसे मत-पत्र पर इस प्रकार अंकित एवं दर्ज किया गया हो कि किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए मतदाता द्वारा मत देने की मंशा किसी सकारण संदेह से स्पष्टतया परे हो। इस प्रकार, उस अभ्यर्थी को आबंटित स्थान में कहीं भी चिन्ह लगाने को संबंधित अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मत समझा जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि यह मंशा कि मत किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए है, मत पत्र में चिन्ह लगाने के तरीके से साफ-साफ प्रदर्शित हो जाए तो किसी डाक मत-पत्र पर दर्ज मत को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए कि मत को इंगित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है अथवा एक से अधिक बार लगाया गया है*

9.11 *तत्पश्चात्, वैध मतों की गिनती की जानी चाहिए तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के खाते में उसे दिए गए मतों को जमा किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल डाक मतों का परिकलन किया जाना चाहिए, प्ररूप 20 में परिणाम -पत्र में प्रविष्ट किया जाना चाहिए तथा अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं/मतगणना अभिकर्ताओं की सूचना के लिए ऊंचे स्वर में घोषणा की जानी चाहिए।*

9.12 *तत्पश्चात्, सभी विधिमान्य मतपत्रों तथा सभी अस्वीकृत मत-पत्रों को अलग-अलग बांध दिया जाना चाहिए तथा एक पैकेट में साथ रखा जाना चाहिए और रिटर्निंग अधिकारी की मुहर तथा ऐसे अभ्यर्थियों की मुहरों से उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं अथवा गणना अभिकर्ता (किसी एक अभ्यर्थी के संबंध में दो से अधिक नहीं) उनकी मुहर लगाने के लिए इच्छूक हों, से मुहरबंद कर दिया जाना चाहिए।*

9.13 किन्हीं परिस्थितियों में, ई वी एम गणना के सभी दौरों के परिणामों की उद्घोषणा डाक मतपत्र की गणना को अंतिम रूप देने से पूर्व नहीं की जाएगी।

9.14 यदि केवल डाक मतपत्र की गणना के आधार पर जीत के बारे में निर्णय लिया जा रहा है, तो अनिवार्य रूप से पुनर्सत्यापन किया जाना चाहिए। प्रेक्षक एवं रिटर्निंग आफिसर की उपस्थिति में अमान्य के रूप में अस्वीकृत डाक मतपत्रों और प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में गणना किए गए मतों को दोबारा सत्यापित किया जाएगा और इनका मिलान किया जाएगा। प्रेक्षक और रिटर्निंग आफिसर परिणाम को अंतिम रूप देने से पहले पुनर्सत्यापन के निष्कर्षों को रिकार्ड करेंगे और स्वयं को संतुष्ट करेंगे।

9.15 जब कभी ऐसा पुनर्सत्यापन/पुनर्गणना की जाती है, तो मत की गोपनीयता से कोई समझौता किए बिना संपूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी की जानी चाहिए और विडियो कैसेट/सीडी को भविष्य के संदर्भ के लिए पृथक लिफाफे में सीलबंद किया जाना चाहिए।

10. मतदान केंद्रों में डाले गए मतों की गणना

10.1 जहां डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपनी मेज पर की जा रही है वहीं वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान केंद्रों में दर्ज मतों की गणना भी सहायक रिटर्निंग आफिसर(रों) द्वारा मतगणना हॉल में प्रदान की गई अन्य मेजों पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, मतदान केंद्रों से प्राप्त वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिटों को विभिन्न मतगणना मेजों को वितरित किया जाएगा। वितरण का यह कार्य इस प्रकार आरंभ किया जाएगा कि मतदान केंद्र संख्या 1 की वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट मेज सं. 1 को, मतदान केंद्र सं. 2 की वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को मेज संख्या 2 को, और इसी प्रकार किया जाए। प्रत्येक मतगणना मेज पर, एक मतदान केंद्र में डाले गए मतो को एक बार लिया जाएगा। इस प्रकार मतगणना के प्रथम दौरे में एक साथ मतगणना शुरू करने में मतदान केंद्रों और मतगणना मेजों की संख्या बराबर होगी। मतगणना मेजों और मतगणना केंद्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यक दौरों में मतगणना की जाएगी और पूरी की जाएगी। अगले दौरे के लिए कंट्रोल यूनिटों को मतगणना मेजों पर तब तक नहीं लाया जाएगा जबतक कि पिछले दौरे की मतगणना पूरी न हो जाए। लोक सभा एवं विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों की दशा में, मतगणना मेजों की कुल संख्या को मेजों की समान संख्या के दो समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रथम समूह विधान सभा निर्वाचन के लिए होना चाहिए और दूसरा समूह संसदीय निर्वाचन के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मतगणना मेजों की कुल संख्या मतगणना के प्रथम दौरे में 14 (चौदह) है, तो विधान सभा के लिए मतदान केंद्र संख्या 1 में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट मेज संख्या 1 को दी जानी चाहिए और लोक सभा के लिए मतदान केंद्र संख्या 1 में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट को मेज संख्या 8 को दी जानी चाहिए अर्थात लोक सभा के लिए मतगणना हेतु प्रथम मेज और मतदान केंद्र संख्या 2 में विधान सभा के लिए प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट को मेज संख्या 2 को दिया जाना चाहिए और मतदान केंद्र सं. 2 में लोक सभा के लिए प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट को मेज संख्या 9 अर्थात लोक सभा के लिए मतगणना हेतु दूसरी मेज को दिया जाना चाहिए और आगे इसी क्रम में दिया जाना चाहिए। ऐसे वितरण का लेखा अपनी सूचना के लिए अपने पास रखें। यह उल्लेखनीय है कि लोक सभा एवं विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के लिए मतगणना की दशा में अगले दौरे की मतगणना दोनों निर्वाचनों के संबंध में पिछले दौरे की मतगणना पूरी होने तथा पूरे किए गए दौरे में शामिल मतदान केंद्रों में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों को मतगणना मेजों से हटाए जाने के बाद शुरू की जाएगी।

10.2 मतगणना के समय किसी विशेष मतदान केंद्र में प्रयुक्त वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट ही उस मतदान केंद्र में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है। बैलट यूनिट अपेक्षित नहीं है।

10.3 कंट्रोल यूनिट के साथ, उस मतदान केंद्र से संबंधित प्ररूप 17-ग में दर्ज संगत मत लेखा को मतगणना मेज को भी प्रदान किया जाएगा।

10.4 किसी भी वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की गिनती से पूर्व, कंट्रोल यूनिटों की सीलों की जांच की जाती है। मतगणना मेज पर उपस्थित गणन अभिकर्ताओं को बाह्य पट्टी की मुहर, विशेष टैग, हरी कागज मुहरों तथा ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मुहर जो कैरिंग केस तथा कंट्रोल यूनिट पर लगाई गई हों, तथा सील की अक्षुण्णता के संबंध में स्वयं को भी संतुष्ट कर लें। आप अपने आपको इस संबंध में भी संतुष्ट करेंगे कि किसी भी वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यदि किसी कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ हुआ पाया जाता है तो उस मशीन में दर्ज मतों की गिनती नहीं की जाएगी तथा उस मामले की सूचना तत्काल आयोग को उनके निदेशों के लिए ही देंगे और उस पर आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

10.5 *चूंकि प्रत्येक कैरिंग केस को मतगणना मेज पर लाया जाता है, इसलिए मतदान केन्द्र पर उस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा लगाई गई मुहरों की जांच की जानी चाहिए। कहीं कैरिंग केस की मुहर अक्षुण्ण तो नहीं है, उनमें रखे हुए कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, कहीं उनपर मुहर तथा विशेषतौर पर उस यूनिट पर कागज की मुहर अक्षुण्ण तो नहीं है। उसके बाद कैरिंग केस को खोला जाएगा तथा कंट्रोल यूनिट को बाहर निकाला जाएगा।*

10.6 *जैसे ही प्रत्येक कंट्रोल यूनिट को संवाहक बक्से से निकाला जाएगा पहले इसकी क्रम संख्या की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वही कंट्रोल यूनिट है जिसकी मतदान केंद्र में उपयोग हेतु आपूर्ति की गई थी। तत्पश्चात् 'कैंडिडेट सैट सेक्शन' पर मुहर, जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान केंद्र में मशीन की आपूर्ति से पूर्व लगाई गई है तथा 'रिजल्ट सेक्शन' के बाहरी आवरण पर मुहर,जो मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा लगाई गई है, की जांच की जाएगी। भले ही इनमें से कोई मुहर अक्षुण्ण नहीं होगी, किन्तु कंट्रोल यूनिट के साथ छेडछाड़ नहीं की जा सकती है यदि परिणाम खण्ड के भीतरी आवरण पर लगे कागज मुहर अक्षुण्ण होगी।*

10.7 *परिणाम सेक्शन के बाहरी आवरण को खोलने पर विशेष टैग से सील किए गए भीतरी आवरण तथा पीठासीन अधिकारी की सील देखी जाएगी। यदि सील अक्षुण्ण नहीं भी होगी तो नियंत्रण एकक के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यदि कागज मुहर अक्षुण्ण होगी और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई होगी। परिणाम सेक्शन के भीतरी आवरण में एक ग्रीन पेपर सील होगी, (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 2006 से पूर्व विनिर्मित मशीनों की स्थिति में दो ग्रीन पेपर सील)। ग्रीन पेपर सील इस प्रकार लगाई जानी चाहिए कि सील के दो मुक्त सिरे भीतरी उपखंडों जिनमें परिणाम बटन अवस्थित है, की दिशाओं से बाहर की ओर निकलते हैं। कागज मुहर के ऐसे मुक्त सिरे पर उस मुहर की मुद्रित क्रम संख्या होगी। कागज मुहर पर की उस क्रम संख्या का पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 17ग के भाग I की मद 9 में तैयार कागज मुहर कथन में यथा प्रदत्त क्रम संख्या के साथ मिलान की जानी चाहिए। गणना अभिकर्ताओं, जो मतगणना मेज पर उपस्थित हों, को ऐसी कागज मुहर तथा की क्रम संख्या से अवश्य ही मिलान करने दें तथा उन्हें अपने आपको सतुष्ट होने दें कि कागज मुहर वही है जो मतदान की शुरूआत से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर लगाया गया था।*

10.8 *यदि नियंत्रण एकक में वास्तविक रूप से प्रयुक्त कागज मुहर की क्रम संख्या कागज मुहर के कथन में पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा प्रदर्शित, क्रम संख्या से मेल नहीं खाती है तो ऐसा हो सकता है कि कागज मुहर कथन में त्रुटि आ गई होगी अथवा प्रथम दृष्ट्या संदेश होगा कि वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। रिटर्निंग आफिसर पीठासीन अधिकारी द्वारा वापस की गई अप्रयुक्त कागज मुहर की क्रम संख्याओं की जांच करके इस प्रश्न का निर्णय करें। यदि आप इसे लिपिकीय त्रुटि पाते है तो विसंगति को नजर अंदाज करें।*

10.9 *दूसरी ओर, यदि रिटर्निंग आफिसर संतुष्ट हो जाते हैं कि वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है या यह वह मशीन नहीं है जिसकी आपूर्ति उस मतदान केन्द्र पर इस्तेमाल हेतु की गई थी तो इस मशीन को अलग रख दिया जाना चाहिए तथा उसमें दर्ज मतों की गिनती नहीं की जानी चाहिए। वह इस मामले की सूचना निर्वाचन आयोग को देगा। यदि किसी वोटिंग मशीन को छेड़छाड़ किया हुआ पाया जाता है तो विधि के अधीन समस्त मतगणना स्थगन करना आवश्यक नहीं है। रिटर्निंग आफिसर अन्य मतदान केन्द्रों के संबंध में मतगणना की कार्यवाही को जारी रखेगा।*

10.10 *प्रत्येक दौरे की समाप्ति पर, प्रेक्षक संबंधित दौरे की कंट्रोल यूनिटों, जिनकी गणना हो गई है, में से किन्हीं दो ई वी एम कंट्रोल यूनिटों का यादृच्छिक रूप से चयन करेगा। उसके बाद वह यादृच्छिक चयन के माध्यम से रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से तैनात माइक्रो प्रेक्षक को निदेश देगा कि वह स्वतंत्र रूपसे चयनित कंट्रोल यूनिटों से मशीन द्वारा यथा प्रदर्शित डाले गए मतों का ब्योरा लिखें। उसके बाद वह इन ब्योरे का मिलान मेज-वार परिणाम में कार्मिकों द्वारा दिए गए ब्योरे से करेगा ताकि दोनों के बीच किसी विसंगति की जांच हो सके। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यादृच्छिक जांच के लिए निर्दिष्ट स्टाफ को मेज-वार परिणाम में दिए गए ब्योरे की जानकारी नहीं हो।*

10.11 *प्रत्येक मतगणना मेज के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक एवं एक मतगणना सहायक के अतिरिक्त, प्रत्येक 14 मतगणना मेजों में एक अतिरिक्त स्टाफ को बिठाया जाएगा। अतिरिक्त स्टाफ हमेशा केंद्रीय सरकार/केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी होंगे। यह अतिरिक्त स्टाफ उस मेज में प्रत्येक दौर में गणना की जा रही ई वी एम द्वारा प्रदर्शित मतों के ब्योरे को लिखेगा। इन अतिरिक्त मतगणना स्टाफ को एक पूर्व मुद्रित विवरण दिया जाएगा जिस पर कंट्रोल यूनिट संख्या, दौर संख्या, मेज संख्या, मतदान केंद्र संख्या और उसके बाद निर्वाचन लड़ रहे सभी*

अभ्यर्थियों के नाम और नोटा के लिए पैनल, जो मतपत्र पर दिखाई देते हैं, को लिखने के लिए स्थान होगा। वे विवरण के अंत में हस्ताक्षर करेंगे और प्रत्येक दौर के बाद प्रेक्षक को सौंपेगे।

10.12 *जहां कहीं केंद्रीय सरकार के स्टाफ की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नही हो, वहां इस कमी को मंडल के भीतर पड़ोसी जिला से अपेक्षित संख्या में स्टाफ को जुटाकर करके मंडल आयुक्त/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा। अतिरिक्त स्टाफ को उपर्युक्तानुसार मतगणना केंद्र में तैनात किए जाने से पूर्व, संक्षिप्त अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतिरिक्त स्टाफ को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहचान पत्र भी दिया जाएगा। ऐसे अतिरिक्त स्टाफ की निर्वाचन क्षेत्र-वार और उसके उपरांत मेज-वार तैनाती भी प्रेक्षक द्वारा यादृच्छिक रूप से की जाएगी।*

10.13 *निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामनिर्देशित और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात प्रेक्षकों को विधि के अधीन सांविधिक उपबंधों के अधीन मतगणना प्रक्रिया की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें परिणाम की घोषणा से पूर्व किसी भी समय मतगणना प्रक्रिया को रोकने के लिए अधिकृत किया गया है या वे रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर को विधि में यथा परिकल्पित विभिन्न परिस्थितियों के अधीन परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निदेश दे सकेंगे।*

10.14 *ऐसे मामलों में,जहां प्रेक्षक मतगणना प्रक्रिया को रोकने का आदेश देता है, वहां इस मामले में आयोग के उपयुक्त आदेश प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से या पृथक रूप से प्रेक्षक एवं रिटर्निंग आफिसर द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तुरंत आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।*

11. *परिणाम अभिनिश्चित करना*

11.1 *इसकी संतुष्टि हो जाने के बाद कि पेपर सील अक्षुण्ण है, कंट्रोल यूनिट वही है जिसकी आपूर्ति मतदान केन्द्र पर की गई थी तथा इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो इसमें दर्ज मतों की गिनती की जाएगी। मशीन में दर्ज मतों की गिनती करने के लिए मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित क्रियाविधि का अनुपालन किया जाना चाहिए:-*

i. *कंट्रोल यूनिट के पिछले कोष्ठ में प्रदान किए गए पावर स्विच को 'ऑन' की स्थिति में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट के डिस्पले सेक्शन में तब 'आन' लेम्प हरी बत्ती के रूप में चमकेगा।*

ii. *परिणाम खण्ड के भीतरी आवरण के उपरी छिद्र के नीचे लगे परिणाम* **1** *बटन पर पेपर सील को छिद्रित किया जाएगा।*

iii. *वर्ष* **2006** *से पहले की ईवी एम और वर्ष* **2006** *के बाद की ई वी एम में 'परिणाम* **1***'/ रिजल्ट बटन को दबाया जाएगा।*

iv. *इस प्रकार दबाए जा रहे परिणाम 1/परिणाम बटन पर मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी और नोटा के लिए दर्ज मतों की कुल संख्या कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल में स्वतः प्रदर्शित होगी। मान लें निर्वाचन लड़ने वाले आठ अभ्यर्थी हैं तथा कुल मतों की संख्या* **758** *है तो प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों को निम्नलिखित अनुक्रम में डिस्प्ले पेनल में प्रदर्शित किया जाएगा।*

पूर्व-2006 ई वी एम के मामले में

सी डी	6
टू	758
01	109

02	59
03	77
04	263
05	38
06	02

(*यह केवल एक उदाहरण है*)

2006 *के पश्चात ई वी एम के मामले में*

संगणना परिणाम

मत परिणाम *पी डी टी* 01-02-07

पी एस टी **07-05-50** *पी ई टी* 17-30-10

क्रम सं. एच **00003**

अभ्यर्थी 9

कुल मतदान-1065

अभ्यर्थी - 01 *मत* - 161

अभ्यर्थी - 09 *मत* – 15

अंत

(ध्यान दें: 'रिजल्ट ।।' बटन का प्रयोगदूसरे मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, केवल तब जब मशीन का प्रयोग लोक सभा और विधान सभा के लिए साथ-साथ हुए मतदान के लिए किया गया हो। (वर्तमान में राज्य विधान सभा और लोक सभा दोनों के साथ-साथ निर्वाचन के दौरान भी विधान सभा और संसदीय निर्वाचनों के लिए केवल पृथक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।)

v. *मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा भाग-II- प्ररूप 17ग की 'मतगणना का परिणाम' में अभ्यर्थीवार क्रमिक तौर पर यथा प्रदर्शित उपर्युक्त परिणाम को नोट करेगा।*

11.2 *अपेक्षित होने पर परिणाम 1 बटन को पुनः दबाएं ताकि अभ्यर्थी और/अथवा उनके अभिकर्ता उपर्युक्त परिणाम को नोट कर सकें।*

11.3 *परिणाम नोट कर लिए जाने के बाद परिणाम सेक्शन का आवरण बंद कर दिया जाएगा तथा कंट्रोल यूनिट को स्विच "आफ" कर दी जाएगी।*

12. *भाग-।।- का समापन- 17ग की मतगणना का परिणाम*

12.1 *जैसे ही प्रत्येक अभ्यर्थी तथा नोटा (NOTA) द्वारा प्राप्त मत नियंत्रण एकक के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित होते हैं, मतगणना पर्यवेक्षक को भाग-।। प्ररूप 17ग की मतगणना का परिणाम - में प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में ऐसे मतों की संख्या को अलग-अलग दर्ज करना चाहिए। उसे प्ररूप 17ग के उक्त भाग ।। में यह भी नोट करना चाहिए कि क्या उस भाग में यथा प्रदर्शित मतों की कुल संख्या उस प्ररूप के भाग I की मद v के सामने प्रदर्शित मतों की कुल संख्या से मेल खाते हैं अथवा क्या दोनों के योगों में कोई विसंगति देखी गई है।*

12.2 *यदि वह ऐसी कोई विसंगति देखता है, तो वह इसे विधि के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए रिटर्निंग आफिसर के ध्यान में लाएगा। आप इसे उस अभ्यर्थी, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के ध्यान में ला सकते हैं ताकि वह यदि चाहे तो मामले को रिटर्निंग आफिसर के साथ उठा सकते हैं।*

12.3 *प्ररूप 17ग के भाग-।। को हर प्रकार से पूरा करने के बाद मतगणना प्रेक्षक को इसपर हस्ताक्षर करना चाहिए। उसे इसे मतगणना मेज पर उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करवाया जाना चाहिए।*

12.4 *प्ररूप 17ग का एक नमूना परिशिष्ट-।।। में दिया गया है।*

12.5 *प्ररूप 17ग के भाग-।। को मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा यथोचित रूप से भरे जाने, इसे हस्ताक्षर करे जाने तथा अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा इसपर हस्ताक्षर करवाए जाने के बाद, उसे इस प्ररूप को रिटर्निंग आफिसर को सौंप देना चाहिए। रिटर्निंग आफिसर इस बात की संतुष्टि हो जाने पर कि प्ररूप समुचित रूप से भर दिया गया है तथा यह सभी प्रकार से पूरा कर दिया गया है, इस पर प्रतिहस्ताक्षर करना चाहिए। रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रकार से प्रतिहस्ताक्षरित प्ररूप को उस अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए जो अंतिम परिणाम का संकलन तथा प्ररूप 20 में अंतिम परिणाम पत्र तैयार कर रहे है।*

13. *अंतिम परिणाम पत्र की तैयारी*

13.1 *अन्तिम परिणाम को संकलित तथा अन्तिम परिणाम पत्र को प्ररूप 20 में तैयार करने वाले प्रभारी अधिकारी को प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंध में प्ररूप 17ग के 'भाग-।।-मतगणना के परिणाम' में की गई प्रविष्टियों के पूर्णतया अनुरूप प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा मतदान केन्द्र पर प्राप्त मतों को दर्शाते हुए उस प्ररूप में प्रविष्टियां करनी चाहिए। इनमें से कोई नहीं (नोटा) के संबंध में ऐसे मतों की संख्या भी प्रपत्र 17ग के भाग-।। में अलग से दर्शाई जानी चाहिए। किसी मतदान केन्द्र में दिए गए निविदत्त मतों, यदि कोई है, को संबंधित मतदान केन्द्र के संबंध में प्ररूप 20 में उपयुक्त स्तम्भ में लिखा जाना चाहिए जिसमें पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार दर्ज निविदत्त मतों की संख्या शामिल होगी।*

13.2 *प्रत्येक मतदान केंद्र के संबंध में प्ररूप 20 में इस प्रकार की गई प्रविष्टियों की उद्घोषणा की जाएगी ताकि अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र से संबंधित मतगणना के परिणाम को नोट कर सकें। वैकल्पिक रूप में, रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20 में की गई प्रविष्टियों को ब्लैक बोर्ड पर लिखवाएगा। इससे आप अन्य मतदान केंद्रों में मतगणना के कार्य को बिना किसी रूकावट के जारी रख पाएंगे।*

14. *पुनर्गणना*

14.1 *औम तौर पर वोटिंग मशीनों में दर्ज मतों की दोबारा गिनती पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। वोटिंग मशीनों में दर्ज प्रत्येक मत वैध मत होता है और इसकी विधिमान्यता के संबंध में अथवा अन्यथा कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। अधिक-से-अधिक कुछ अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं ने किसी मतदान केन्द्र विशेष पर मतदान का परिणाम समुचित रूप से नोट नहीं किया होगा जब कंट्रोल यूनिट में वह सूचना प्रदर्शित*

हुई होगी। यदि पुनः सत्यापन की आवश्यकता उत्पन्न होती हो तो 'रिजल्ट 1' बटन को दबाकर ऐसा किया जा सकता है, जिस पर उस मतदान केन्द्र पर मतदान का परिणाम उस कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल में पुनः प्रदर्शित होगा।

14.2 *वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल द्वारा दोबारा मतगणना की आवश्यकता को पूर्णतया समाप्त किए जाने के बावजूद निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 63 में निहित दोबारा मतगणना से संबंधित उपबंध निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में अभी भी लागू होंगे।*

14.3 *तद्नुसार, जब मतगणना पूरी हो गई हो तो रिटर्निंग आफिसर और प्ररूप 20 में अंतिम परिणाम पत्र में यथाप्रविष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या को दिखाते हुए उस परिणाम की घोषणा करेगा। घोषणा के बाद कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई मतगणना अभिकर्ता किसी या सभी मतदान केंद्रों में दर्ज मतों की पुनर्गणना के लिए लिखित में आवेदन कर सकेगा जिसमें ऐसी पुनर्गणना की मांग किए जाने के आधारों का उल्लेख किया जाएगा।*

14.4 *जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, वहां परिणाम पत्र में प्रविष्टियों की उद्घोषणा किए जाने बाद, कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई मतगणना अभिकर्ता किसी मतदान केंद्र या मतदान केंद्रों के संबंध में प्रिंटर के ड्रॉप बाक्स में मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना करने के लिए रिटर्निंग आफिसर को लिखित रूप में आवेदन कर सकेगा। रिटर्निंग आफिसर आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर निर्वाचनों का संचालन नियम के नियम 56घ में यथा उपबंधित, मामले पर निर्णय ले सकेंगे।*

14.5 *इस प्रयोजनार्थ रिटर्निंग आफिसर उस सटीक घंटे और मिनट की घोषणा करेगा जिस तक वह पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करेगा। जब दोबारा मतगणना के लिए आवेदन किया जाता है तो उन आधारों पर विचार किया जाएगा जिन पर आग्रह किया गया हो और मामले पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्णय किया जाएगा। वह आवेदन को समग्र रूप में या आंशिक रूप में अनुमति दे सकते हैं अथवा इसे पूर्णतया अस्वीकृत कर सकते हैं, यदि यह तुच्छ या अनुचित लगे। रिटर्निंग आफिसर का निर्णय अन्तिम होगा। यदि किसी मामले में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पुनर्गणना के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतों की गणना का निदेश देगा। डाक मतपत्रों की भी पुनर्गणना की जाएगी यदि उनकीपुनर्गणना के लिए अनुरोध किया जाता है और ऐसे अनुरोध को रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार किया जाता है। पुनर्गणना के बाद, परिणाम पत्र को आवश्यक सीमा तक सही किया जाएगा और इस प्रकार किए गए संशोधनों, की उद्घोषणा की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की कुल संख्या की उद्घोषणा करने के बाद परिणाम पत्र को पूरा किया जाएगा और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।*

14.6 *यह ध्यान देना चाहिए कि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके किसी मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणाम पत्र को पूरा करने और उस हस्ताक्षर करने के बाद पुनर्गणना की मांग करने का अधिकार नहीं है। परिणाम पत्र को पूरा करने एवं उस पर हस्ताक्षर करने के बाद मतों की पुनर्गणना की किसी भी मांग को अस्वीकार किया जाएगा।*

14.7 *यदि किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना एक से अधिक स्थानों पर की जाती है, तो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 65 के अनुसार मतों की पुनर्गणना की मांग, मतगणना के प्रयोजनार्थ नियत अंतिम स्थान में मतगणना के अंत में ही की जा सकती है। ऐसा अंतिम स्थान साधारणतया रिटर्निंग आफिसर का मुख्यालय होगा, जहां वह उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर समाविष्ट विभिन्न विधानसभा खंडों के परिणामों का मिलान एवं समेकन कर रहे होंगे।*

15. *नए सिरे से मतदान की दशा में मतगणना का स्थगन*

15.1 *पूर्वोक्त पैरा में, उल्लिखित कोई कदम उठाने से पूर्व, रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचन आयोग के निदेश की प्रतीक्षा करेगा, यदि उसने उपर पैरा 24 में पहले ही यथा उल्लिखित किसी वोटिंग मशीन के साथ हुई छेड़-छाड़ पाए जाने के बारे में आयोग को कोई रिपोर्ट दी है। जहां आयोग प्रभावित मतदान केंद्र(द्रों) में नए सिरे से मतदान किए जाने का निदेश देता है, तो वहां सभी अन्य मतदान केंद्रों के संबंध में मतगणना प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, मतगणना स्थगित कर दी जाएगी। ऐसे मामले में सभी वोटिंग मशीनों और निर्वाचनों से संबंधित किसी अन्य कागज-पत्रों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा सीलबंद किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता को यदि वह चाहे तो प्रत्येक वोटिंग मशीन और पैकेट आदि,*

जिसमें निर्वाचन संबंधी कागज-पत्र रखे गए हैं, पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार स्थगित मतगणना को पुन: तब शुरू किया जाएगा जब नया मतदान रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस निमित्त नियत तारीख को एवं समय पर आयोजित कर [illegible]जाए और उपर्युक्त विहित प्रक्रिया के अनुसार पूरा कर लिया जाए।

15.2 *आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक को परिणाम की घोषणा से पूर्व किसी भी समय मतों की गिनती रोकने का अथवा परिणाम की घोषणा न करने का रिटर्निंग आफिसर को निदेश देने की शक्ति है, यदि प्रेक्षक की राय में अनेक मतदान केन्द्रों पर अथवा मतदान या मतगणना के लिए नियत स्थानों पर बूथ पर कब्जा करने की घटना हुई है अथवा किसी मतदान केन्द्र पर अथवा मतदान के लिए प्रयुक्त स्थान पर प्रयुक्त मत पत्र आपकी अभिरक्षा से गैर-कानूनी ढंग से ले लिए जाते हैं अथवा ये अनजाने में या जानबूझ कर नष्ट कर दिए जाते हैं या खो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं अथवा इनके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो ऐसे मामलों में निर्वाचन कार्यवाही निर्वाचन आयोग के ऐसे निदेशों, जो वह प्रेक्षकों की रिपोर्ट पर जारी करे, के अनुसार तथा सभी तथ्यात्मक परिस्थितियों को ध्यान में लेने के बाद आगे बढ़ाई जाएगी।*

16. *मतगणना के पश्चात् वोटिंग मशीनों को पुनः मुहरबंद करना*

16.1 *जब किसी कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतदान के परिणाम का अभ्यर्थीवार पता कर लिया गया हो और भाग-II प्ररूप 17ग की मतगणना का परिणाम तथा प्ररूप 20 में अंतिम परिणामपत्र में प्रविष्ट कर दिया गया हो तो रिटर्निंग आफिसर यूनिटों को अपनी सील से तथा ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो वहां मौजूद हैं, जो उन पर अपनी सीलें लगा सकते हैं, की सीलों से यूनिटों को दोबारा सीलबंद करेगा। तथापि, यह कि यूनिट में दर्ज मतदान का परिणाम अस्पष्ट न हो तथा यूनिट में ऐसे परिणाम की मेमोरी बनी हुई हो "और जहां पेपर ट्रॉयल के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया गया हो, वहां रिटर्निंग आफिसर पेपर्स पर्चियों को ऐसी रीति में सीलबंद करेगा जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया जाए"।*

16.2 *तथापि, पुनः मुहरबंद इस तरीके से किया जाएगा कि कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतदान का परिणाम मिट न जाए और इस एकक में ऐसे परिणाम की मेमोरी बनी रहे।*

16.3 *कंट्रोल यूनिटों की उपर्युक्त पुनः मुहरबंदी इस तरीके से की जानी चाहिएः-*

(i) *कंट्रोल यूनिट के 'अभ्यर्थी सेट सेक्शन' से बैटरी को हटाया जाएगा। बैटरी हटाने के बाद अभ्यर्थी सेट सेक्शन के आवरण को पुनः मुहरबंद कर दिया जाएगा।*

[ध्यान दें-बैटरी को हटाया जाना आवश्यक है जिससे कि समय बीतने पर इसमें रिसाव न हो और मशीन क्षतिग्रस्त न हो। तथापि, बैटरी हटाने से कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतदान का परिणाम नहीं मिटेगा क्योंकि यह एकक बैटरी के बगैर भी अपनी मेमोरी को बनाए रखेगा]

i. *परिणाम सेक्शन के बाहरी आवरण को बंद किया जाएगा और पुनः मुहरबंद कर दें।*

ii. *इस प्रकार मुहरबंद किए गए कंट्रोल यूनिट को इसके संवाहक बक्से में रख दिया जाएगा।*

iii. *संवाहक बक्से में पुनः मुहरबंद किया जाएगा।*

iv. *संवाहक बक्से के हैण्डल से एक पता लिखे टैग को मजबूती से संबद्ध किया जाएगा जिसमें निर्वाचन के ब्योरे, [illegible]क्षेत्र का नाम, मतदान केन्द्र, जहां कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया गया था, के ब्योरे कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या और मतगणना की तारीख का उल्लेख होगा।*

16.4 *अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतगणना अभिकर्ताओं को भी वोटिंग मशीनों पर अपनी सीलें लगाने की अनुमति दी जाती है, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। मतगणना अभिकर्ताओं को अभ्यर्थियों, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हें, के हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने इन मशीनों पर अपनी सीलें लगा दी हैं। इससे उनके अभ्यर्थियों को संतुष्टि होगी कि उनमें दर्ज मतों के साथ छेड़-छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। तथापि, जहां स्वयं अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने ऐसी सील लगा दी है, वहां मतगणना अभिकर्ताओं को अपनी पृथक सीलें लगाने की जरूरत नहीं है।*

परिशिष्ट I

(पैरा 7.1)

[*नियम* **52 (2)** *देखें*]

प्ररुप **18**

गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

.....निर्वाचन क्षेत्र से ..... के लिए निर्वाचन।

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

*मैं ..... * जो उपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं/ का निर्वाचन अभिकर्त्ता हूं और..... पर मतों की गणना में हाजिर रहने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा अपने गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूं।*

1.....

2.....

3.....

आदि

** अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर*

हम ऐसे गणन अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

1.....

2.....

3.....

आदि

स्थान ..... *गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर*

तारीख .....

गणन अभिकर्ताओं की घोषणा

(*रिटर्निंग आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए***)**

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम उपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** *की धारा* **128**** *द्वारा, जिसे हमने पढ़ लिया है/जो हमें पढ़कर सुना दी गई, निषिद्ध हैं कोई बात न करेंगे।*

1.....

2.....

3.....

आदि

स्थान .....

गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

तारीख ..... *रिटर्निंग आफिसर*

** जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए।*

*** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,* **1951** *की धारा* **128** --

"128. *मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना – (1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय संसूचित न करेगा।*

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।"।

परिशिष्ट II

(पैरा 9.2)

[*नियम* **52 (41)** देखें]

प्ररुप **19**

गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

.....के लिए निर्वाचन

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

मैं ..... जो उपरवर्णित निर्वाचन अभ्यर्थी [..... का निर्वाचन में अभिकर्ता] हूं अपने/उसके गणन अभिकर्ता ..... की नियुक्ति एतद्द्वारा प्रतिसंहृत(रिवोक) करता हूं।

स्थान .....

तारीख .....

.....

प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

** यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए –*

(1) *.....निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा।*

(2) *.....निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा।*

(3) *.....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।*

(4) *.....(संघ राज्य क्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।*

(5) *विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद।*

(6) *.....निर्वाचन क्षेत्र से विधान परषिद।*

ध्यान दीजिए – [ ] से चिह्नित शब्द आवश्यकतानुसार छोड़दीजिए।

परिशिष्ट III

प्ररुप 17 ग

(पैरा 28.4)

[नियम 49 ध और 56 ग(2) देखें]

भाग I रिकार्ड किए गए मतों का लेखा

क्र. सं. ....निर्वाचन क्षेत्र से ....लोक सभा अथवा विधान सभा निर्वाचन

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम ....

मतदान केन्द्र में प्रयोग की गई वोटिंग मशीन की पहचान संख्या

कंट्रोल यूनिट संख्या.......................

बैलटिंग यूनिट संख्या.......................

प्रिंटर (यदि उपयोग किया गया हो)

1. मतदान केन्द्र में निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाताओं की कुल संख्या जैसा कि मतदाता रजिस्टर में दर्ज किया गया है (प्ररुप 17 क)
3. मतदाताओं की कुल संख्या जिन्होने नियम 49O के अधीन मत रिकार्ड नहीं करने का निर्णय लिया
4. नियम 49 ड के अधीन मतदान करने की अनुमति नही दिए गए मतदाताओं की कुल संख्या
5. नियम 49 ड क(घ) के अधीन रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या को घटाया जाना आवश्यक- कुल सं. प्ररुप 17क में मतदाताओं की क्र.सं.

   (क) घटाए जाने वाले मतों की कुल संख्या- क्र.सं. अभ्यर्थी का नाम मतों की संख्या

   (ख) अभ्यर्थी(यों) जिसके लिए परीक्षण मत(तों) डाला गया- ....

6. वोटिंग मशीन में रिकार्ड मतों की कुल संख्या
7. क्या मद 5 में दिखाए गए मतों की कुल संख्या मद 2 में दिखाए गए मतदाताओं की कुल संख्या से मद 3 के अनुसार मतों को रिकार्ड नहीं करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या को घटाते हुए मद संख्या 4 के अनुसार मतदाताओं की संख्या को घटाते हुए (2-3-4) मेल खाती है अथवा कोई विसंगति पाई गई है।
8. मतदाताओं की संख्या, जिसे नियम 49 त के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किया गया हो
9. निविदत्त मतपत्र की संख्या क्र.सं. से तक

   (क) उपयोग के लिए प्राप्त

   (ख) निर्वाचकों को जारी

   (ग) उपयोग नहीं किया गया और लौटाया गया

   ....

10. कागज मोहरों का लेखा मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

   1. उपयोग के लिए दी गई कागज मोहर कुल सं............. 1. ....

   क्र.सं......से.......तक 2. ....

   2. उपयोग की गई कागज मोहर कुल सं............. 3. ....

   3. रिटर्निंग आफिसर को लौटाई गई अप्रयुक्त कागज मोहर क्र.सं......से.......तक 4. ....

   4. क्षतिग्रस्त कागज मोहर, यदि कोई हो कुल सं............. 5. ....

   क्र.सं......से.......तक 6. ....

कुल सं............. **7.** ....

क्र.सं.......*से*..........*तक*

तारीख................................ *पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर*

स्थान...................................

भाग II

मतगणना परिणाम

अभ्यर्थी की क्रम संख्या	*अभ्यर्थी का नाम*	*कंट्रोल यूनिट में दिखाए गए मतों की संख्या*	**5** *मद भाग* I *के अनुसार घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या*	*विधिमान्य मतों की संख्या***(3-4)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
एन	*नोटा* **(***एनओटीए***)**			
कुल				

क्या उपर दिखाए गए मतों की कुल संख्या भाग I *की मद* **6** *में दिखाए गए मतों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है अथवा दोनों की कुल संख्या में कोई विसंगति पाई गई है*

जी हाँ, मेल खाती है।
मतगणना प्रेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता के नाम	*पूरा हस्ताक्षर*
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

स्थान..... *तारीख*.....

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर